113

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग0 - 9256 - I - 16

प्र0क्र0 / 16 विविध

रामदयाल माहौर पुत्र देवचन्द निवासी ग्राम घोरीबावडी तह0 बीरपुर जिला श्योपुर

......................आवेदक

बनाम

1—गणेश 2—रामचरन

पुत्रगण देवहंस निवासी ग्राम घोरी बाबडी तह0 वीरपुर जिला श्योपुर

......................अनावेदक

दिनांक 16.11.16 को श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
16-11-16

536
16.11.16

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0

एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम घोरीबावडी तह0 वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 1 मिन रकवा 2.090 है0 10 वीघा का पट्टा भू--दान बोर्ड द्वारा आवेदक के हक में किया गया था।

2— यह कि अनावेदक द्वारा एस0डी0ओ0 महोदय विजयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 17 / 12--13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 / 12 / 2013 द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त कर दिया।

3— यह कि आवेदक द्वारा एस0डी0ओ0 महोदय विजयपुर के आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क0 R 505 1 / 14 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 04 / 01 / 2016 को स्वीकार की जाकर सर्वे क0 1 रकवा 2.090 है0 10 वीघा का पट्टा यथावत रखा गया है।

4— यह कि विचाराधीन प्रकरण के दौरान ग्राम घोरी बाबडी में बन्दोबस्त किया गया जिसमें सर्वे क0 1 रकवा 2.090 है0 के स्थान पर नवीन सर्वे क0 58 रकवा 2.090 है0 बना दिया गया।

5— यह कि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में बन्दोबस्त में बनाये गये नवीन नम्बर को लिखने से भूल वस रह गया जिसके कारण नवीन सर्वे नम्बर का उल्लेख माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख नहीं हो सका।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9256–एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा भूल सुधार बावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत एवं 151 व 152 जा0 दी0 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल प्र0 क0 निग0 505–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 4.1.16 में सर्वे कमांक 1 रकवा 2.090 है0 10 बीघा का पटटा यथावत रखा गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आदेश दिनांक 4.1.16 के पेरा 2 की लाईन कमांक 2 में ग्राम घोरीबाबडी में स्थित के बाद (बन्दोबस्त के पूर्व) तथा लाईन कमांक 3 में (10 बीघा) के बाद (बन्दोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे कमांक 58 रकवा 2.090 है0) तथा आदेश के अन्तिम पेरा लाइन कमांक 6 घोरीबाबडी स्थित के बाद (बन्दोबस्त के पूर्व तथा है0 के बाद बन्दोवस्त के पश्चात नवीन सर्वे कमांक 58 रकवा 2.090) अंकित होने से रह गया है इस कारण यह संसोधन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 4– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय के प्रकरण कमांक निग0 505–एक/14 में पारित	

आदेश दिनांक 4.1.16 के पैरा 2 की लाइन कमांक 2 में ग्राम घोरीबाबडी स्थित के बाद (बन्दोवस्त के पूर्व) तथा लाइन कमांक 3 में 10 बीघा के बाद (बन्दोवस्त के पश्चात नवीन सर्वे कमांक 58 रकवा 2.090 है0) तथा आदेश के अन्तिम पैरा लाइन कमांक 6 घोरीबाबडी स्थित के बाद (बन्दोवस्त के पूर्व तथा है0 के बाद बन्दोवस्त के पश्चात नवीन सर्वे कमांक 58 रकवा 2.090) उक्त संसोधन किया जाता है तथा पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य